महत्वपूर्ण

संख्या-48/2023/2348/58-1-2023-54-2099/25/2023

प्रेषक,

1. वीना कुमारी,
प्रमुख सचिव,
बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

2. मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
पंचायती राज विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग **लखनऊ:: दिनांक 18 सितम्बर, 2023**

विषय-आंगनबाड़ी केन्द्र पर चिन्हित गंभीर अल्प वजन श्रेणी के लाभार्थियों के पोषण स्तर सुधार में पंचायती राज संस्थाओं के उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

आप अवगत हैं कि 06 माह से 06 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के विकास एवं गर्भवती महिलाओं व धात्री माताओं के स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी आवश्यकताओं की समग्र रूप से पूर्ति हेतु एकीकृत बाल विकास सेवायें (आई०सी०डी०एस) प्रदेश में संचालित है। विभाग के अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से स्वास्थ्य, पोषण एवं शाला पूर्व शिक्षा सहित 06 प्रकार की सेवायें लाभार्थियों को प्रदान की जाती हैं। आईसीडीएस की सेवायें सार्वभौमिक (Universal) हैं।

कुपोषण की समस्या प्रकृति में जटिल, बहु-आयामी और अंतर-पीढ़ीगत है। बच्चों में व्याप्त कुपोषण उन्मूलन हेतु विभिन्न कन्वर्जेन्स विभागों में कई योजनाएं/कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं, परन्तु सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करने एवं योजनाओं को एक-दूसरे से एकीकृत करने की आवश्यकता है, जिसके लिए ग्राम पंचायतों द्वारा एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन अपेक्षित है।

भारत सरकार द्वारा कुपोषण उन्मूलन हेतु पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका निर्धारित की गयी है, जिसमें पोषण पंचायतों के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं द्वारा कुपोषण मुक्त भारत का निर्माण जन आन्दोलन के माध्यम से किये जाने का उल्लेख किया गया है। पोषण पंचायतें, मातृ समूहों एवं वीएचएसएनसी के माध्यम से पोषण के महत्व के बारे में पंचायत स्तर पर लोगों को अधिक संवेदनशील बनाने के लिये कारगर साबित हो सकती हैं। पंचायत स्तर पर कुपोषण व उसके कारण तथा कुपोषण समाप्त करने सम्बन्धी उपायों के सम्बन्ध में पोषण पंचायत एवं वीएचएसएनसी में विचार विमर्श करते हुये कुपोषित बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हेतु विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर ग्राम को कुपोषण मुक्त किया जा सकता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

उदाहरणतः जनपद रामपुर में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग तथा पंचायती राज विभाग के समन्वय से कुपोषण मुक्ति हेतु अत्यन्त उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हुये हैं, जिससे जिला प्रशासन को माननीय प्रधानमंत्री पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। उपरोक्त रामपुर मॉडल को प्रदेश व्यापी तौर पर निम्नवत् लागू किया जाना है:-

वर्तमान में बच्चों व महिलाओं में व्याप्त कुपोषण के उन्मूलन हेतु पंचायती राज संस्थाओं के दायित्वों व वित्तीय प्रबंधन हेतु व्यवस्था निम्नवत है-

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 (यथा संशोधित) के अध्याय-4-ग्राम पंचायत की शक्तियाँ, कर्तव्य, कृत्य एवं प्रशासन की धारा-15(26) में ग्राम पंचायत द्वारा महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के संबंध में निम्नवत् उल्लेख किया गया है-

क- ग्राम पंचायत स्तर पर महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भाग लेना।

ख- बाल स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों की प्रोन्नति।

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-1817/33-3-2020-33/2020, दिनांक 24 जुलाई, 2020 द्वारा 15 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत अनटाइड/बेसिक ग्राण्ट के अन्तर्गत अनुमन्य कार्य व उपभोग हेतु निर्गत दिशा-निर्देश में भारत सरकार के पत्र संख्या-एफ नं०-जी-39011/2/2017-एफडी, दिनांक 02.07.2020 में कुपोषण के उन्मूलन के संबंध में निम्नवत् उल्लेख किया गया है -

"Storm Water Drainage and water logging management, immunization of children, prevention of malnutrition of children, construction and repair and maintenance of roads within Gram Panchayat (GP) and Inter GP. construction and repair of foot paths Within GP and inter GP."

प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति गठित है तथा समिति को स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बन्धी कार्यों हेतु रू0 10,000,00 का अनटाइट फण्ड वार्षिक रूप से दिये जाने की व्यवस्था है।

बच्चों में व्याप्त कुपोषण उन्मूलन हेतु पोषण गतिविधियों के लिए निधि/फण्ड के उपयोग हेतु वार्षिक कार्ययोजना तैयार कर ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान (जीपीडीपी) में सम्मिलित किया जाना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। वार्षिक कार्ययोजना में पोषण गतिविधियां वित्त पोषित और गैर-वित्त पोषित दोनों हो सकती हैं।

अतः उपरोक्त वित्तीय व्यवस्था के दृष्टिगत ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान में पोषण संबंधी निम्न गतिविधियों (वित्त पोषित एवं गैर वित्त पोषित) को सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।

(1) कुपोषित बच्चे व कम वजन वाली/एनिमिक गर्भवती महिला हेतु पोषण किट का प्रावधान-

पोषण किट (आई०सी०डी०एस० द्वारा प्रदान किये जा रहे टेक होम राशन के अतिरिक्त) के प्रावधान हेतु नीचे दिए गए लक्ष्य समूह को क्रमानुसार प्राथमिकता दिया जाना प्रस्तावित है-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

- 06 माह से 06 वर्ष के चिन्हित कम वजन/सैम एवं मैम बच्चे,
- कम वजन वाली/एनिमिक गर्भवती महिलाएं,
- कम वजन वाली/एनिमिक किशोरी बालिकाएं,

जनपद रामपुर में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, पंचायती राज विभाग और किसान उत्पादक संगठन के संयुक्त समन्वय से ग्राम पंचायतों में चिन्हित अल्पवजन (कुपोषित) श्रेणी के बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हेतु पोषण किट उपलब्ध कराये जाने का एक अनूठा मॉडल विकसित किया गया है, जिसके अत्यन्त उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हुये हैं। जनपद रामपुर में अल्पवजन (कुपोषित) श्रेणी के बच्चों हेतु पोषण किट का निर्धारण करके किसान उत्पादक संघ को स्थानीय स्तर पर उगाये जाने वाले दालें, मोटे अनाज, आंवला, सहजन आदि का प्रयोग कर पोषण किट में शामिल किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार ग्राम पंचायत स्तर पर उन विशेष लाभार्थी समूहों का निर्धारण कर उन समूहों को पोषण किट वितरित की जा सकती है। किट में वितरित किये जाने वाली वस्तुओं का निर्धारण जनपद स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर उपलब्ध वस्तुओं के अनुसार जिला पोषण समिति के माध्यम से किया जा सकता है।

(2) पोषण संबंधी जागरूकता हेतु स्वास्थ्य व पोषण मेले का आयोजन।

(3) पोषण के प्रति जागरूकता तथा संवेदीकरण हेतु पोषण विषय पर प्रतियोगिता।

(4) पोषण एवं स्वास्थ्य के प्रति जन-जागरूकता को बढ़ावा देने हेतु दीवार लेखन

(5) ग्राम पंचायत स्तर पर स्कूलों, आंगनवाड़ी केन्द्रों/सामुदायिक भवनों आदि में पोषण वाटिका / किचन गार्डन का निर्माण।

उक्त के संबंध में विस्तृत विवरण संलग्नक-1 में उल्लिखित किया गया है।

उपरोक्त कार्यों के बेहतर अनुश्रवण हेतु जनपद स्तरीय तथा ब्लाक स्तरीय व्यवस्था का सहयोग लिया जायेगा।

जनपद स्तरीय पोषण समिति द्वारा पोषण पंचायत के अनुश्रवण हेतु व्यवस्था :-

- पंचायत स्तर पर कुपोषण समाप्त करने के सम्बन्ध में कार्ययोजना तथा "कुपोषण मुक्त पंचायतों" का अनुश्रवण।
- विभिन्न कन्वर्जेन्स विभागों के कार्यों की समीक्षा।
- पोषण किट हेतु पोषण युक्त खाद्य सामग्रियों का निर्धारण एवं गुणवत्ता जिला पोषण समिति द्वारा सुनिश्चित कराया जाना।
- विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा व कार्ययोजना के अनुसार लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित कराया जाना।
- कुपोषित बच्चों के पोषण स्तर में सुधार की नियमित निगरानी ऑगनवाड़ी कार्यकत्री/ए0एन0एम0 द्वारा कराया जाना।
- कृषक समूहों, सहकारिता तथा स्थानीय स्तर पर गठित संघों की पोषण सम्बन्धी कार्यों में प्रतिभागिता सुनिश्चित कराया जाना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

ब्लॉक स्तरीय पोषण समिति द्वारा पोषण पंचायत के अनुश्रवण हेतु व्यवस्था :-

- विकास खण्ड स्तर पर कुपोषण समाप्त करने के संबंध में कार्ययोजना तैयार करना तथा अनुश्रवण।
- विकास खण्ड स्तरीय कन्वर्जेन्स विभागों के साथ समन्वय।
- कुपोषण समाप्त करने के संबंध में स्थानीय स्तर पर आवश्यकता का आंकलन तथा कार्ययोजना के अनुसार क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाना।
- कुपोषित बच्चों के पोषण स्तर में सुधार की नियमित निगरानी ऑंगनवाड़ी कार्यकत्री/ए0एन0एम0 द्वारा कराया जाना।
- विकास खण्ड स्तर पर गठित संघों की पोषण सम्बन्धी कार्यों में प्रतिभागिता सुनिश्चित कराया जाना।

उक्तानुसार पंचायतों द्वारा बच्चों में व्याप्त कुपोषण उन्मूलन संबंधी विषय को पंचायत की कार्ययोजना में सम्मिलित करने व पंचायत के सक्रिय सहयोग से समाज को स्वस्थ व कुपोषण मुक्त किया जा सकता है। इस मॉडल के सफल क्रियान्वयन से सभी ग्राम पंचायतें कुपोषण मुक्त व अन्ततः राज्य कुपोषण मुक्त बन सकता है।

अतः अपने कुशल निर्देशन में उपरोक्त समस्त गतिविधियों का क्रियान्यन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीया, भवदीय,

(वीना कुमारी) **(मनोज कुमार सिंह)**

प्रमुख सचिव। अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
9. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

11. निदेशक, उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12. निदेशक, कृषि, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
13. मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
14 महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
15. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
16. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
17. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
18. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक–1

आंगनबाडी केन्द्र पर चिन्हित गंभीर अल्प वजन श्रेणी के लाभार्थियों के पोषण स्तर सुधार में पंचायती राज संस्थाओं के उत्तरदायित्व संबंधी दिशा निर्देशः–

भारत सरकार द्वारा कुपोषण उन्मूलन हेतु पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका निर्धारित की गयी है। जिसमें पोषण पंचायतों के माध्यम से पचांयती राज संस्थाओं द्वारा कुपोषण मुक्त भारत का निर्माण जन आन्दोलन के माध्यम से किये जाने का उल्लेख किया गया है। पोषण पंचायते, मातृ समूहों एवं वीएचएसएनसी के माध्यम से पोषण के महत्व के बारे में पंचायत स्तर पर लोगों को अधिक सवेंदनशील बनाने के लिये कारगर साबित हो सकती है। पंचायत स्तर पर कुपोषण व उसके कारण तथा कुपोषण समाप्त करने सम्बन्धी उपायों के सम्बन्ध में पोषण पंचायत एवं वीएचएसएनसी में विचार विमर्श करते हुये कुपोषित बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हेतु विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर ग्राम को कुपोषण मुक्त किया जा सकता है।

ग्राम पंचायतो द्वारा कुपोषित बच्चों व कम वजन वाली/एनेमिक महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार हेतु निम्न गतिविधियों का आयोजन प्रस्तावित हैः–

1) कुपोषित बच्चे व कम वजन वाली/एनिमिक गर्भवती महिला हेतु पोषण किट का प्रावधान–

पोषण किट (आई0सी0डी0एस0 द्वारा प्रदान किये जा रहे टी0एच0आर के अतिरिक्त) के प्रावधान हेतु नीचे दिए गए लक्ष्य समूह को कमानुसार प्राथमिकता दिया जाना–

- 06 माह से 06 वर्ष के चिन्हित कम वजन /सैम एवं मैम बच्चें,
- कम वजन वाली/एनिमिक गर्भवती महिलायें
- कम वजन वाली/एनिमिक किशोरी बालिकायें

2. स्वास्थ्य एवं पोषण मेला का आयोजन

स्वास्थ्य एवं पोषण मेले का आयोजन 6 माह में एक बार किया जाये। इस मेले के आयोजन में ऐसे दुर्गम व सुदूरवर्ती गांव/मजरों को सम्मिलित किये जाने में प्राथमिकता दी जाये,जो निम्न मानदण्डो को पूरा करते हो :–

- जिन गाँव में सर्वाधिक गम्भीर अल्पवजन के बच्चे हो,
- जिन गांव में घर पर प्रसव होने वाले परिवारों की संख्या अधिक हो,
- जिन गांव में महिला और बच्चों में एनीमिया का प्रतिशत अधिक हो,
- जिन गांव में जन्म के समय कम वजन वाले बच्चों की संख्या अधिक हो,

पोषण मेले के आयोजन हेतु तैयारी के लिए गाँव के चयन होने के बाद मेले के स्थल का चयन किया जाएगा, मेले के स्थल के चयन में यह ध्यान रखा जाएगा कि वहाँ पीने के पानी की सुविधा, शौचालय की सुविधा , महिला के स्वास्थ्य जाँच हेतु उपयुक्त स्थान , महिला डॉक्टर की उपलब्धता तथा निकटस्थ स्वास्थ्य केंद्र तक संदर्भित महिला एवं बच्चों को पहुँचाने की सुविधा उपलब्ध हो।

3) पोषण के प्रति जागरुकता तथा संवेदीकरण हेतु पोषण विषय पर प्रतियोगिता

ग्राम स्तर पर पोषण विषय पर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए। इन प्रतियोगिताओं में 6 वर्ष तक के बच्चों के परिवार, गर्भवती महिलायें, किशोरी बालिका को शामिल किया जाए।

- 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए स्वस्थ्य बालक बालिका प्रतियोगिता का आयोजन किया जा सकता है, जिसका मुख्य उद्देश्य स्वस्थ और सुपोषित बच्चों को बढ़ावा देना, समुदाय में वृद्धि एवं विकास के महत्व को बढ़ावा देना, स्वस्थ बच्चों की पहचान करना, पौष्टिक आहार के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करना एवं उत्तम स्वास्थ्य को बनाए रखने की भावना को बढ़ावा देना।

➢ इसी तरह स्वस्थ गर्भवती महिलाओं के लिए भी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए जिसमें सभी गर्भवती महिलाएं जिनका वजन सामान्य रूप से निरंतर बढ़ रहा है, जिनका हीमोग्लोबिन स्तर सामान्य है, जो खतरे के लक्षणों से बाहर हैं एवं जिनकी सभी गर्भवती जॉचे पूर्ण है, को सम्मिलित किया जाये।

➢ किशोरी बालिकाओं के लिए पोषण के विषय में चित्रकला प्रतियोगिता, मोटे अनाज का उपयोग करते हुए रेसिपी प्रतियोगिता, सबसे बेहतर हीमोग्लोबिन स्तर होने वाली किशोरी बालिका की प्रतियोगिता का आयोजन किया जा सकता है।

4) दीवार लेखन–

पोषण एवं स्वास्थ्य के प्रति जन–जागरूकता को बढावा देने हेतु दीवार लेखन का कार्य किया जा सकता है। दीवार लेखन हेतु विभिन्न स्थलो जैसे कि स्कूल, ग्राम पंचायत, आंगनवाड़ी केंद्र, गांव के प्रमुख स्थल, मुख्य सड़क के आसपास की दीवारें, स्वास्थ्य केंद्र आदि का चयन किया जा सकता है। दीवार लेखन जन जागरूकता और सामाजिक सहभागिता को बढ़ाने में मददगार होगा।

5) पोषण वाटिका /किचन गार्डन का निर्माण

➢ पोषण वाटिका के निर्माण हेतु उद्यान विभाग से समन्वय स्थापित कर रियायती दरों पर बीज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। जिला मुख्यालय स्थित उद्यान विभाग के कार्यालय से ग्राम पंचायत द्वारा बीज लेकर पोषण वाटिका/किचन गार्डन के लिए गर्भवती महिला व कुपोषित बच्चों के अभिभावकों को प्राथमिकता देते हुए जनसमुदाय में वितरित किए जा सकते हैं।

➢ उद्यान विभाग/वन विभाग की ओर से फलदार वृक्षों के पौधों (अमरूद, ऑवला, आम, पपीता, सहजन आदि) की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए एवं महिला किसानों और कुपोषित बच्चों के घरों पर पौधारोपण कराये जाए। इन फलदार वृक्षों के पौधों को लोग अपने घर के आसपास खाली जमीन पर पुत्री/पुत्र के नाम से पौधरोपण कर सकते हैं।

➢ कृषि विभाग द्वारा खरीफ फसल के लिए मोटे अनाज के बीज छोटे और सीमांत किसानों को उपलब्ध कराया जाये। मोटे अनाज का उपयोग कुपोषण समाप्त करने व एनीमिया के स्तर में सुधार के लिये किया जा सकता है।

उपरोक्त समस्त गतिविधियों का आयोजन व क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के समन्वय से किया जायेगा।

संलग्नक– 2

कुपोषण समाप्ति में पंचायतों के अतिरिक्त दायित्व–

समुदाय में कुपोषण के विरूद्ध माहौल बनाने तथा जनआन्दोलन को तेज करने के लिए ग्राम पंचायतों की बैठकों में पोषण बिन्दु को सम्मिलित किया जाय, जिससे पोषण, समुदाय के स्तर पर रूचि एवं अमल का एक नियमित विषय बन सके। कुपोषण की समाप्ति में ग्राम पंचायतों द्वारा निम्न भूमिकायें भी निभाई जा सकती हैं–

- कुपोषित बच्चों के पोषण स्तर की नियमित निगरानी।
- अन्तर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के दृष्टिगत मिलेट्स (मोटे अनाज) को बढ़ावा देना व भोजन में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रोत्साहन।
- मिलेट्स (मोटे अनाज) के उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहित करना।
- कृषक क्लबों की मासिक बैठक में स्थानीय पोषक अनाज दाल, सब्जियों और फलों के प्रयोग संबंधी विषय को सम्मिलित किया जाना ।
- सहकारिता और स्थानीय स्तर पर गठित संघों को पोषण के संबंध में जागरूक करना।
- स्थानीय हाट बाजारों में पोषण विषय पर स्टॉल लगाना।
- स्थानीय त्योहारों तथा समुदाय आधारित गतिविधि दिवसों में सक्रिय सहभागिता।
- स्वयं सहायता समूहों की बैठकों, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण दिवस, दीनदयाल अंत्योदय योजना आदि बैठकों में पोषण चुनौतियों का समाधान निकालना।
- आशा, आंगनवाड़ी कार्यकत्री व स्वास्थ्य कार्यकर्ता के साथ पंचायत सदस्यों का नियमित संवाद ।
- कुपोषित बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हेतु उनकी माताओं (BUDDY MOTHERS) को प्रोत्साहित करना।
- विकासखण्ड व जनपद स्तर पर कन्वर्जन्स विभागों से सहयोग प्राप्त करने हेतु नियमित संवाद– सम्प्रेषण किया जाना।